

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

- अधि० सं०- सं०का०-1/वि०मं०(महानुभाव) 08-08/2025-...../ पटना, दि०-..... 2026
बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2006 के नियम-3 के आलोक में श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-536, दिनांक-20.05.2026 द्वारा दिनांक-15.05.2026 के प्रभाव से राज्य मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ट) तथा नियम 3(ड) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।
2. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, 2006 के धारा 2(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची-1 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-288, दिनांक 23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग-अलग प्रावधानित की गयी है।
3. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद के द्वारा सरकारी पदाधिकारी के श्रेणी में श्री सुबोध कुमार, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-255/26 पदस्थापन की प्रतीक्षा में (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को उनके आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा पत्रांक-209/26 दिनांक-15.05.2026 द्वारा इस स्वघोषणा के साथ दी गयी है कि वे उनके सगे-सम्बन्धी नहीं हैं।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-9003/सा०प्र०, दिनांक-20.05.2026 के द्वारा श्री सुबोध कुमार, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-255/26 पदस्थापन की प्रतीक्षा में (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) की सेवा इस विभाग को सौंपी गयी है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान परिषद सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवाएं इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
5. श्री सुबोध कुमार, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।



ज्ञापांक- सं०का०-१/वि०मं०(महानुभाव) ०८-०८/२०२५-...../ पटना, दि०-..... २०२६
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार,
सिंचाई भवन, पटना, अवर सचिव, वैयक्तिक दावा कोषांग, (वित्त विभाग) पटना/प्रभारी सचिव,
बिहार विधान परिषद, लेखा-शाखा, बिहार विधान परिषद, श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक,
सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद एवं श्री सुबोध कुमार, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- सं०का०-१/वि०मं०(महानुभाव) ०८-०८/२०२५-^{५५८}...../ पटना, दि०-^{२२/०५} २०२६
प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


२२-०५-२०२६
सरकार के अवर सचिव।